

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एनएचबी/आरएमएमडी/डीटी/01/2021 दिनांकित 11.02.2022: राष्ट्रीय आवास बैंक

आरएफपी संदर्भ सं.: - एनएचबी/आरएमएमडी/डीटी/02/2022 दिनांकित 11.02.2022



प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) -

रा.आ.बैंक के बॉण्ड जारी करने के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति

संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग  
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावस केंद्र, लोधी रोड,  
नई दिल्ली - 110 003  
फोन: 011- 3918 7000, 011-3918 7043  
ईमेल: [bonds@nhb.org.in](mailto:bonds@nhb.org.in)

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	28 फरवरी, 2022 को 03:30 बजे
2.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तय किया जाएगा, और भाग लेने वाले बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
3.	तकनीकी बोली मूल्यांकन/प्रस्तुति	बोलीदाताओं को अपनी तकनीकी बोली पर प्रस्तुति देने के लिए तिथि और समय के विषय में सूचित किया जाएगा। बोलीदाताओं को या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या नई दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रधान कार्यालय में भौतिक रूप से प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
4.	वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी बोली मूल्यांकन के पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को सूचित करेगा।
5.	बोलियां खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावस केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
6.	संपर्क विवरण:	ईमेल : bonds@nhb.org.in टेलीफोन : 011 3918 7155
<b>अधिक जानकारी हेतु कृपया रा.आ.बैंक की वेबसाइट <a href="http://www.nhb.org.in">www.nhb.org.in</a> देखें</b>		

**नोट: -**

- बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाएगा एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एनएचबी/आरएमएमडी/डीटी/01/2021 दिनांकित 11.02.2022: राष्ट्रीय आवास बैंक**

2. राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

**क.** राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

**ख.** रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है एवं क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता में है। इसके क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में हैं।

### 3. प्रयोजन:

रा.आ.बैंक के बॉण्ड जारी करने के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति।

### 4. कार्य क्षेत्र:

वर्ष के दौरान सभी रा.आ.बैंक बॉण्ड जारी करने के लिए सेबी विनियमों एवं कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक खंडों के अनुसार डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। डिबेंचर ट्रस्टी को उक्त बॉण्ड के मोचन तक सभी गतिविधियों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

### 5. अनुबंध की अवधि:

प्रारंभ में, ट्रस्टी की नियुक्ति नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए की जाएगी, जिसे वार्षिक आधार पर ट्रस्टी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के पश्चात अधिकतम तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। उद्धृत राशि वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी बॉण्ड की संपूर्ण परिपक्वता अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि रा.आ.बैंक कई श्रृंखला में बॉण्ड जारी करने का निर्णय लेता है, तो डिबेंचर ट्रस्टी को प्रत्येक किस्त हेतु सभी गतिविधियों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। रा.आ.बैंक के पास डिबेंचर ट्रस्टी को एक माह का नोटिस देने के पश्चात अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है।

**टिप्पणी:**

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए ट्रस्टी जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

**6. बोलीदाताओं को निर्देश:**

**6.1 सामान्य दिशानिर्देश:**

1. सेबी के साथ पंजीकृत संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं एवं एक वैध सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा पिछले 5 वर्षों के लिए सार्वजनिक/ निजी स्थानन आधार के माध्यम से ऋण प्रस्ताव में डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में न्यूनतम निरंतर अनुभव रखते हों।
2. बोलीदाताओं को आरएफपी में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।
3. आरएफपी का उत्तर देने वाला प्रत्येक बोलीकर्ता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी की शर्तें बिना शर्त स्वीकार हैं।
4. बोली में उद्धृत दरों को निविदा खोलने की तिथि से छः महीने की अवधि हेतु दृढ़ एवं वैध माना जाएगा।
5. बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी यदि वे: (क) फैक्स या ईमेल की जाती हैं। (ख) निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त हुई हो (ग) विचलन एवं सशर्त आरएफपी को अपूर्ण माना जाएगा।
6. विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
7. बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एनएचबी/आरएमएमडी/डीटी/01/2021 दिनांकित 11.02.2022: राष्ट्रीय आवास बैंक**  
लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता  
के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।

8. प्रत्येक बोलीदाता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र ट्रस्टी (यों) को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
9. राष्ट्रीय आवास बैंक को आरएफपी का उत्तर देने वाला प्रत्येक बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी एवं अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार हैं।
10. बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क सूत्र को भेजें:

**संपर्क सूत्र:**

राज कुमार नेगी,  
प्रबंधक  
संसाधन संग्रहण एवं प्रबंधन विभाग (आरएमएमडी)  
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड,  
नई दिल्ली - 110 003  
दूरभाष: +9111 3918 7155  
मोबाइल - +91-8130 393 458

11. रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
12. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
13. यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
14. यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 10.00 से सायं 06.00 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।

15. बोलीदाता को भारत में किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक/वित्तीय संस्थान के द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
16. राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
17. रा.आ.बैंक के पास निम्नलिखित अधिकार है:
  - (क) बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को रद्द/स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है।
  - (ख) एक से अधिक L1 बोलीदाता होने की स्थिति में समझौता वार्ता के बाद सबसे कम बोली निर्धारित कर सकता है।
  - (ग) एक से अधिक L1 बोलीदाता होने की स्थिति में इसके आंतरिक मानदंड के आधार पर डिबेंचर ट्रस्टी का चयन कर सकता है।
  - (घ) इसके अलावा सबसे कम बोली वाले बोलीदाता के साथ ट्रस्टी शुल्क पर समझौता वार्ता कर सकता है।
  - (ङ) बिना कोई कारण बताए बॉण्ड जारी करने की मात्रा कम या बढ़ा सकता है।
  - (च) प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए बोलीदाता को बुला सकता है क्योंकि यह प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझता है।
  - (छ) बिना कोई कारण बताए बोलियों के लिए संकेतित समय सारिणी में संशोधन कर सकता है।
18. एनएचबी मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रतिक्रिया को सुधारने या स्पष्टीकरण के लिए किसी भी बोलीदाता (या एक साथ एक से अधिक बोलीदाताओं के साथ) के साथ चर्चा या समझौता वार्ता कर सकता है।
19. विवाद की दशा में, रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।

## 6.2 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ. बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

## 6.3 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

#### 6.4 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फॉर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ. बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### 6.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन रा.आ. बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर पोस्ट किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्कैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### 6.6 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

#### 6.7 बोली में शामिल दस्तावेज (कृपया निर्देशों का पालन करें, यदि कोई है, तो प्रारूप में अलग-अलग निर्धारित किया गया है)

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
2. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता के अनुभव का ब्यौरा;
3. अनुलग्नक - III में निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पात्रता पर सूचना;

4. तकनीकी प्रस्ताव: तकनीकी बोली अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में कवरिंग पत्र के साथ अनुलग्नक IV (क) में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. वाणिज्यिक प्रस्ताव: वाणिज्यिक बोली अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में आवरण पत्र के साथ अनुलग्नक V (क) में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।
6. अनुलग्नक VI में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) (संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए 100/- रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)

## 6.8 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 6.9 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

## 7. बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

1) प्रत्येक बोली दो भागों में होगी:

- भाग I: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली शामिल हैं। उपरोक्त कंटेंट "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।
- भाग II : "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।

2) एनएचबी डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए ट्रस्टीशिप कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली बुनियादी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

- ट्रस्टीशिप सेवा प्रदाता के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य
- वर्तमान में न्यूनतम 2 सरकारी संगठनों में सेवारत.
- ₹15 करोड़ का न्यूनतम कारोबार.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एनएचबी/आरएमएमडी/डीटी/01/2021 दिनांकित 11.02.2022: राष्ट्रीय आवास बैंक

3) योग्य बोलीदाताओं का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जाएगा:

मापदंड	मानदंड अंक	(अधिकतम अंक)
1) ट्रस्टीशिप सेवा प्रदाता के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य:  क. $\geq 5$ वर्ष एवं $\leq 10$ वर्षों का कार्य ख. $> 10$ वर्ष एवं $\leq 15$ वर्षों का कार्य ग. $> 15$ वर्षों का कार्य	5 अंक 10 अंक 15 अंक	अधिकतम अंक 15
2) बोलीदाता का विशिष्ट अनुभव (सबसे हाल ही में किये गए कार्यों से शुरूकर): क. $\geq 2$ कार्य आदेश बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित ख. $\geq 3$ वर्ष एवं $\leq 5$ कार्य आदेश बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित ग. $> 5$ कार्य आदेश बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित	15 अंक 20 अंक 25 अंक	अधिकतम अंक 25
3) पिछले 2 वर्षों में ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक के मूल्य के बांड/डिबेंचर की ट्रस्टीशिप (2019-20 एवं 2020-21):  क. 2000 करोड़ तक ख. 2000 करोड़ या अधिक	5 अंक 10 अंक	अधिकतम अंक 10
4) पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर (2018-19, 2019-20 एवं 2020-21):  क. $\geq 30$ करोड़ ख. $\geq 50$ करोड़	5 अंक 10 अंक	अधिकतम अंक 10
5) प्रस्तुति (कार्य के पूरे दायरे के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को शामिल करना, सेबी विनियमों के अनुसार अनुपालन निगरानी प्रक्रिया/तंत्र, ट्रस्टीशिप कंपनी का सकारात्मक पहलु, भौगोलिक उपस्थिति आदि)	40 अंक	अधिकतम अंक 40
<b>कुल अंक</b>	<b>100 अंक</b>	<b>अधिकतम अंक 100</b>

### टिपण्णी:

- i. बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित प्रत्येक मानदंड के लिए सहायक दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी, जिसके बिना बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- ii. चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं अर्थात 1) तकनीकी मूल्यांकन 2) वाणिज्यिक मूल्यांकन
- iii. तकनीकी बोलियों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक कुल 100 अंकों में से 70 (कट-ऑफ अंक) होंगे (प्रस्तुति के लिए अंक सहित) और केवल 70 या कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बोलियां ही वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए योग्य होंगी।
- iv. अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड तकनीकी-वाणिज्यिक यानी गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) पर आधारित होगा जहां तकनीकी बोली स्कोर को 70 और वाणिज्यिक बोली स्कोर को 30 का भार दिया जाएगा।
- v. बोलीदाता को प्रेजेंटेशन के अलावा आवंटित अंकों के मुकाबले 70% स्कोर करना होगा (बोली लगाने वाला जो 60 अंकों का 70% स्कोर करेगा, अर्थात 42 अंक को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा)।
- vi. मूल्यांकन समिति, अपने विवेकाधिकार पर, उत्तरदाताओं से अधिक जानकारी/प्रमाण लेने का निर्णय ले सकती है।

### 7.2 वित्तीय बोली

केवल तकनीकी बोली प्रक्रिया के अपेक्षित मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली ट्रस्टीशिप फर्मों को ही वित्तीय बोली दौर के लिए पात्र माना जाएगा।

वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होगा:

- 1) न्यूनतम बोली को अधिकतम 100 अंक का वित्तीय स्कोर प्रदान किया जाएगा।
- 2) अन्य वित्तीय बोलियों के वित्तीय स्कोर की गणना न्यूनतम मूल्यांकन वाली वित्तीय बोली के सापेक्ष की जाएगी।

### 7.3 संयुक्त तकनीकी और वित्तीय बोली (गुणवत्ता और लागत आधारित प्रणाली - क्यूसीबीएस) के तहत मूल्यांकन:

इस हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

### 7.4 वाणिज्यिक नियम और शर्तें:

- बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में कार्य के दायरे को पूरा करने से जुड़े सभी खर्च शामिल होने चाहिए।
- समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ जमा की गई बोली को गैर-प्रतिक्रियात्मक माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- वाणिज्यिक बोली अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में आवरण पत्र के साथ अनुलग्नक V (क) में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

## 8. बोलियों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

इस हेतु कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

### 8.2 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत् रहेंगे।

### 8.3 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

### 8.4 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान: नई दिल्ली (आभासी रूप से)
- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी, आरएफपी की कीमत के होने या नहीं होने तथा अन्य ब्योरे जिसे बैंक अपने निर्णयानुसार उचित समझता है, की घोषणा तकनीकी बोली खोलने के समय की जाएगी।

### 8.5 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 8.6 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### 8.7 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

### 8.8 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ. बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को रा.आ. बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ. बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही उनका समाधान करेगा।

### 8.9 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

### 8.10 कीमतों को प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

### 8.11 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निविदा के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

### 8.12 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 8.13 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना/ में वेंडर की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

### 8.14 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

### 8.15 कानूनों का अनुपालन

- क. बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: एनएचबी/आरएमएमडी/डीटी/01/2021 दिनांकित 11.02.2022: राष्ट्रीय आवास बैंक**

वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

- ख.** बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक बोलीदाता को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- ग.** यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### **8.16 झूठा/अधूरा विवरण**

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों ) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

#### **9. कीमत**

- क.** बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ख.** कीमत अनुबंध की पूरी अवधि के लिए वैध एवं दृढ़ होनी चाहिए।
- ग.** कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर (जीएसटी के अतिरिक्त) शुल्क, उदग्रहण प्रभार, ढुलाई, बीमा इत्यादि शामिल होने चाहिए।
- घ.** बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य अनुबंध के बोलीदाता के कार्यावधि के दौरान स्थिर रहेगा अर्थात् बांड/डिबेंचर की परिपक्वता तक, जिसे एनएचबी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।
- ङ.** समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- च.** अनुबंधित दरों के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेक पर पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा के बाद वार्षिक रूप से पुनः आदेश (आर्डर) देगा।

## 9.2 अनुबंध की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है तो सेवाओं के लिए भुगतान लागू दंड एवं टीडीएस/अन्य कर काटने के पश्चात आपूर्तित सेवाओं की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

## 10. पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि खंड (केवल राष्ट्रीय आवास बैंक की नीति के अनुसार निर्धारित सीमा के आधार पर मामलों में उल्लेख किया जाना है):

राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाता के बीच एक "पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि" पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह राष्ट्रीय आवास बैंक और बोलीदाताओं के बीच एक बाध्यकारी समझौता है। इस समझौते के तहत, बोलीदाता निर्दिष्ट तरीके से दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ सहमत हैं। अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप अनुबंध-VI में निर्धारित है।

सत्यनिष्ठा संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं या वचनों के किसी बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए प्रतिबंधों का निम्नलिखित सेट लागू किया जाएगा:

- (i) अनुबंधों की अस्वीकृति या हानि;
- (ii) मूलधन और प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को हर्जाने के लिए दायित्व; तथा
- (iii) रा.आ.बैंक द्वारा उल्लंघनकर्ता पर उचित अवधि के लिए रोक लगाना

बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एक कंपनी आचार संहिता रखें (कंपनी में आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए रिश्तत और अन्य अनैतिक व्यवहार अनुपालन कार्यक्रम के उपयोग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना।

## 11. स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम)

इस आरएफपी के प्रयोजन के लिए नियुक्त आईईएम का विवरण निम्न प्रकार से है:

- (1) श्री किशोर कुमार संसी ईमेल आईडी: kishoresansi1@gmail.com
- (2) श्री राकेश रेवारी ईमेल आईडी: r\_rewari@yahoo.com

संलग्नकों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

**\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

XXXXXXXXXXXX